



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (आवास एवं पर्यावरण विभाग)

जन सूचना

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 46 / 2018 द्वारा नुगगेहल्ली जयासिम्हा विरुद्ध अन्य में दिनांक 24 / 01 / 2020 को जारी आदेश में राज्य के समस्त नगरीय निकायों को राज्य में स्थित डेयरियों / कैटल फार्मों / गौशालाओं की इन्वेन्ट्री तैयार करने एवं संबंधितों को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही समस्त डेयरियों / कैटल फार्मों / गौशालाओं को पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अतः इस पब्लिक नोटिस द्वारा सभी संबंधितों को उपरोक्तानुसार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्रेषित करने तथा पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु सूचित किया जाता है।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (आवास एवं पर्यावरण विभाग)



जन सूचना

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण ओ.ए. कमांक 46/2018 द्वारा नुगोहल्ली जयासिम्हा विरुद्ध अन्य में दिनांक 24/01/2020 को जारी आदेश में राज्य के समस्त नगरीय निकायों को राज्य में स्थित डेयरियों/कैटल फार्मों/गौशालाओं की इन्वेन्ट्री तैयार करने एवं संबंधितों को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही समस्त डेयरियों/कैटल फार्मों/गौशालाओं को पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अतः इस पब्लिक नोटिस द्वारा सभी संबंधितों को उपरोक्तानुसार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्रेषित करने तथा पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु सूचित किया जाता है।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

पत्रिका :- 22/05/2020



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (आवास एवं पर्यावरण विभाग)

जन सूचना

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 46/2018 द्वारा नुगोहल्ली जयासिम्हा विरुद्ध अन्य में दिनांक 24/01/2020 को जारी आदेश में राज्य के समस्त नगरीय निकायों को राज्य में स्थित डेयरियों/कैटल फार्मों/गौशालाओं की इन्वेन्ट्री तैयार करने एवं संबंधितों को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही समस्त डेयरियों/कैटल फार्मों/ गौशालाओं को पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अतः इस पब्लिक नोटिस द्वारा सभी संबंधितों को उपरोक्तानुसार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्रेषित करने तथा पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु सूचित किया जाता है।

सदस्य सचिव

**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

संवाद-25449



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

(आवास एवं पर्यावरण विभाग)

जन सूचना

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 46/2018 द्वारा नुगगेहल्ली जयासिम्हा विरुद्ध अन्य में दिनांक 24/01/2020 को जारी आदेश में राज्य के समस्त नगरीय निकायों को राज्य में स्थित डेयरियों/कैटल फार्मों/गौशालाओं की इन्वेन्ट्री तैयार करने एवं संबंधितों को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही समस्त डेयरियों/कैटल फार्मों/गौशालाओं को पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अतः इस पब्लिक नोटिस द्वारा सभी संबंधितों को उपरोक्तानुसार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्रेषित करने तथा पर्यावरण एवं लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय अपनाये जाने हेतु सूचित किया जाता है।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)